कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

क्रमांकः— ईमेल दिनांकः— 17.03.2021

सेवामें,

श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला जोधपुर ग्रामीण

विषयः— मुकदमा नं. 92 दिनांक 02.03.2021 धारा 341,323,302/34 भादस पीएस बिलाडा जिला जो.ग्रा में तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने बाबत्।

प्रसंग :— सीएल हेल्प लाईन पर दर्ज परिवाद क्रमांक 03210679570061 के संदर्भ मे।

महोदयजी,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2021 वक्त 04.42 ए.एम. पर प्रार्थी श्री कैलाश पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ने उपस्थित थाना बिलाडा होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमुन की पेश कि की मेरा काका का बेटा भाई श्रवण पुत्र भगवानराम जाति जाट अपने परिवार सहित ग्राम बोयल में निवास करता है अभी ग्राम बोयल में सभी ग्रामवासियों ने अवैध स्मैक व शराब बेचने हेतु पाबंदी लगवायी तो मुलजिम रविंद्र उर्फ रवि पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोयल व प्रेम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी बोयल जो ग्राम बोयल में अवैध शराब की ब्रांच चलाते हैं व स्मैक का भी कार्य करते हैं उक्त मुलजिमान पाबंदी के कारण मेरे भाई श्रवण से रंजिश रखने लग गए आज दिनांक 01.03.2021 को रात्रि करीब 8.30 बजे उक्त मुलजीमान श्रवण के घर पर आकर धमकी दी कि तुम हमारा कैसे अवैध धन्धा बंद करवाते हो तुझे तो हम देख लेंगे फिर मुलजिमान चले गए फिर रात्रि के 9.15 बजे मेरा भाई श्रवण व दिलीप पुत्र जालाराम जाति जाट निवासी बोयल व छोगाराम पुत्र स्वं रखाराम जाति जाट निवासी बोयल तीनों मोटरसाइकिल पर कापरड़ा जा रहे थे तीनों ही पीएचडी विभाग बोयल व अवैध शराब ठेके की ब्रांच के पास पहुंचे तो मुलजिमान रविंद्र उर्फ रवि, मलाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल व प्रेम पुत्र मंगलाराम व महेन्द्र पुत्र मंगलाराम सभी मुलजिमान श्रवण का रास्ता रोक लिया मलाराम, प्रेम व महेंद्र ने लाठियों से वार किये व रविन्द्र उर्फ रवि ने श्रवण पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किऐ जिससे श्रवण खून से लथपथ हो तब मौके पर खड़े शंकर पुत्र पुनाराम सेवर, बुद्वाराम पुत्र शंकरराम ढिगला ने बीच—बचाव किया फिर श्रवण को अस्पताल लेकर आए मुलजिमान ने लाठियों व चाकू से वार कर श्रवण की हत्या कारित कर मुलजिमान मौके से भाग गए। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 92 दिनांक 2.3.2021 धारा 341, 323, 302/34 आईपीसी पुलिस थाना बिलाडा में दर्ज कर अनुसंधान मन वृताधिकारी धर्मेन्द्र डुकिया पुलिस वृत भोपालगढ द्वारा शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्तगिस श्री कैलाश गवाह श्री दिलीप, छोगाराम, शंकरलाल व बुद्वाराम, भागुराम, विजयराज के बयान लिये गये। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा व हालात मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मृतक श्रवण की फर्द सुरत हाल लाश, फर्द पंचनामा मुर्तिब की। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के बदन पर पहने हुवे खुन आलूदा शर्ट जरिये फर्द कब्जा पुलिस लिया जाकर एक कपडे की थैली मे डालकर शिल्ड चस्पा कर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। एम.ओ से मृतक श्रवण राम की मृत्यु बाबत् राय प्राप्त की गई। बाद पोस्टमार्टम मृतक श्रवण का शव अंतिम संस्कार हेतु जरिये फर्द

सुपुरदर्गी के वारिसान को सुपुर्द किया गया। संदिग्ध व सलिप्त मोबाइल नम्बरो की सी.डी.आर. प्राप्त की जाकर बाद विश्लेषण शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा की घटना मे शरीक मुलजिम रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र श्री मलाराम उम्र 22 जाति मेघवाल निवासी बोयल पुलिस थाना बिलाड़ा व मलाराम पुत्र श्री बुधाराम उम्र 58जाति मेघवाल निवासी बोयल पुलिस थाना बिलाड़ा को दस्तियाब कर पुछताछ की गई अपना कर्ता जुर्म स्वीकार किया मुल. रविन्द्र उर्फ रवि व मलाराम के विरूद्व जुर्म धारा 341,323,302/34 भा0दसं0 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उपरोक्त दोनो मुलजिमानो को दिनांक 04.03.2021 को जरिये फर्द गिरप्तारी के अलग अलग रूबरू मौतबिरान के गिरफ्तार किये जाकर प्रकरण हाजा की घटना के सबंध में विस्तृत पुछताछ की जाकर दोनो मुलजिमानो के पुछताछ नोट पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 05.03.2021 को प्रकरण हाजा मे नामजद मुलजिम प्रेम विश्नोई को पुलिस टीम द्वारा दस्तयाब कर मन् अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश किया जिससे प्रकरण हाजा की घटना के सबंध में विस्तार से पुछताछ कर मुलजिम का पुछताछ नोट पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया मुल. प्रेम विश्नोई ने अपना कर्ता जुर्म स्वीकार किया मुलजिम प्रेम के विरूद्व जुर्म धारा 341,323,302/34 भादस प्रमाणित पाया जाने पर मुलजिम प्रेम विश्नोई को बाद अनुसंधान जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार कर गहनता से पुछताछ की गई अब तक के अनुसंधान बयान गवाहान नक्शा मौका, फर्द सुरतहाल, फर्द पंचनामा,फर्द सुपुर्दगीनामा लाश, एम.ओ साहब से प्राप्त राय, मौका तस्दीक फर्द जब्ती खुन आलुदा पाश्चात, सीडीआर, तथा पत्रावली पर आये सम्पुर्ण साक्ष्यो के आधार पर मुलजिमान रविन्द्र उर्फ रवि, मलाराम जातियान मेगवाल, प्रेम विश्नोई व फरार अभियुक्त महेन्द्र विश्नोई के विरूद्व जुर्म धारा 341,323,302/34 भादस का अपराध प्रथम दृष्टिया से बनना पाया जाता है। मुल. रविन्द्र उर्फ रवि, मलाराम जातियान मेगवाल, प्रेम विश्नोई पुलिस अभिरक्षा में है तथा फरार अभियुक्त महेन्द्र विश्नोई की गिर. व बरामदगी शेष है।

अतः मुकदमा हाजा की तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय
सही/—
उप अधीक्षक पुलिस,
वृत भोपालगढ
जिला जोधपुर ग्रामीण